

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 30/2014 वैवाहिक

राजूसिंह सिकरवार पुत्र केशवसिंह सिकरवार  
आयु 26 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम एण्डोरी  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती सोनी पत्नी राजूसिंह सिकरवार पुत्री  
पूरनसिंह तोमर आयु 24 साल जाति तोमर ठाकुर  
निवासी ग्राम एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड  
म०प्र० हाल आवाद जी०आई०डी०सी०वरवा  
हनुमान नगर जय अम्बे पान पार्लर के वगल से  
अहमदावाद गुजरात

-----अनावेदिका

---

आवेदक द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता  
अनावेदिका एकपक्षीय

---

//नि र्ण य//  
// आज दिनांक 11-1-2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से

है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 13-5-2006 को विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । शादी के बाद आवेदक व अनावेदिका साथ साथ ग्राम एण्डोरी में तथा गोहद जिला भिण्ड में रहे तथा दोनों के संसर्ग से एक लड़की सन् 2012 में पैदा हुयी जिसका नाम गुडिया है । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है । अनावेदिका चंचल किशम की मलिला है तथा जिद्द करने लगी कि चलो अहमदावाद रहना तब उस आवेदक ने उससे अहमदावाद चलने से मना किया और कहा ग्वालियर में वर्कशॉप है ग्वालियर ही रहेंगे । सन् 2012 में लड़की पैदा होने के तीन महीने बाद उसके मां व पिता उसे लेने आये तो आवेदक ने व आवेदक के माता पिता ने उसे खुशी खुशी उनके साथ भेज दिया तब वह अपने साथ संपूर्ण सोने व चांदी के जेवर भी ले गयी । उसके पश्चात् आवेदक क्वार के महीने में उसे लेने के लिये अहमदावाद गये तो अनावेदिका के माता पिता ने उसे भेजने से मना कर दिया और कहा कि वह तुम्हारे यहां नहीं जायेगी वह यहीं रहेगी । आवेदक के पिता ने एण्डोरी चलने को कहा तो वह नहीं मानी तब आवेदक का पिता वापिस चला आया । उसके पश्चात् आवेदक अनावेदिका को मकर संक्रांति पर सन् 2013 में लेने गया तो उसने व उसके माता पिता ने कहा कि हम अपनी पुत्री को तुम्हारे यहां छोड आयेगें अभी लड़की छोटी और रहने दो तब आवेदक वापिस चला आया लेकिन वह अभी तक नहीं आयी । आवेदक ने दो माह पूर्व टेलीफोन से अनावेदिका से गांव आने की बात की तो उसने कह दिया कि उसकी मां से बात कर लो तब मां से बात करने पर उसने कह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो अब लड़की तुम्हारे यहां नहीं जावेगी और न ही उससे पैदा लड़की तुम्हें मिलेगी और फोन पर ही लड़ने लगी तथा अनावेदिका ने भी साथ रहने से मना कर दिया । अनावेदिका जानबूझकर दाम्पत्य अधिकारों का पालन नहीं कर रही है और आवेदक को दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये है । आवेदक कस्वा एण्डोरी का स्थायी निवासी है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा समंस जारी किए जाने के उपरांत उपस्थित न होने से पेपर प्रकाशन के जरिये विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत अनावेदिका के उपस्थित न होने के कारण दिनांक 17.12.15 को उसके अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

05. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक राजूसिंह सिकरवार साक्षी कं01 का तथा साक्षीगण केशवसिंह आ.सा. 2 एवं केशमुरारी अ0सा03 के शपथपत्र पेश किए हैं। आवेदक राजूसिंह सिकरवार के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 13-5-2006 को विधिवत् हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी के बाद आवेदक व अनावेदिका साथ साथ ग्राम एण्डोरी में तथा गोहद जिला भिण्ड में रहे तथा दोनों के संसर्ग से एक लड़की सन् 2012 में पैदा हुयी जिसका नाम गुडिया है। इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदिका चंचल किशम की महिला है तथा जिद्द करने लगी कि चलो अहमदाबाद रहना तब उस आवेदक ने उससे अहमदाबाद चलने से मना किया और कहा ग्वालियर में वर्कशॉप है ग्वालियर ही रहेंगे। सन् 2012 में लड़की पैदा होने के तीन महीने बाद उसके मां व पिता उसे लेने आये तो आवेदक ने व आवेदक के माता पिता ने उसे खुशी खुशी उनके साथ भेज दिया तब वह अपने साथ संपूर्ण सोने व चांदी के जेवर भी ले गयी। उसके पश्चात् आवेदक क्वारं के महीने में उसे लेने के लिये अहमदाबाद गये तो अनावेदिका के माता पिता ने उसे भेजने से मना कर दिया और कहा कि वह तुम्हारे यहां नहीं जायेगी वह यहीं रहेगी। आवेदक के पिता ने एण्डोरी चलने को कहा तो वह नहीं मानी तब आवेदक का पिता वापिस चला आया। उसके पश्चात् आवेदक अनावेदिका को मकर संक्रांति पर सन् 2013 में लेने गया तो उसने व उसके माता पिता ने कहा कि हम अपनी पुत्री को तुम्हारे यहां छोड़ आयेगें अभी लड़की छोटी और रहने दो तब आवेदक वापिस चला आया लेकिन वह अभी तक नहीं आयी। आवेदक ने दो माह पूर्व टेलीफोन से अनावेदिका से गांव आने की बात की तो उसने कह दिया कि उसकी मां से बात कर लो तब मां से बात करने पर उसने कह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो अब लड़की तुम्हारे यहां नहीं जावेगी और न ही उससे पैदा लड़की तुम्हें मिलेगी और फोन पर ही लड़ने लगी तथा अनावेदिका ने भी साथ रहने से मना कर दिया। यद्यपि जेवर के संबंध में कि कौन कौन से जेवर थे ऐसा स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रमाण पेश न होने के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में किया गया कथन दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया जाता। किन्तु शेष तथ्य के संबंध में साक्षी को विश्वास योग्य माना जाता है। आवेदक के द्वारा निर्वाचन आयोग का वोटर कार्ड जो प्र0पी0 1 सी है।

06. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के आधार पर उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय

रहे हैं। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

07. आवेदक राजूसिंह सिकरवार के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी केशवसिंह आ.सा. 2 एवं केशमुरारी आ.सा.3 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे हैं।

08. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक राजूसिंह सिकरवार का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी केशवसिंह आ.सा. 2 एवं केशमुरारी आ.सा.3 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से वंचित किए हुए हैं।

09. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह स्वयं एवं अपनी नावालिक पुत्री के साथ आवेदक के पास पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञा तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थूपलियाल)  
अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड

(डी0सी0थूपलियाल)  
अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड